मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 2, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री एम.व्ही. चन्द्रशेखर मूर्ति, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री, के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99, पटल पर रखेंगे.

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000, पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 की धारा-56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-10-94-पन्द्रह-1, दिनांक 6 सितम्बर, 2001 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अनूप मिश्रा, अजय विश्नोई, सदस्य, भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के संचालक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, हिम्मत कोठारी, सदस्य, ग्वालियर के जयविलास पैलेस के कुंए से करोड़ों रुपये की सम्पत्ति ले जाने वालों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले में धान का समर्थन मूल्य कृषकों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, राजमणि पटेल, देवेन्द्र तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले में ट्रायफेड द्वारा कृषकों से खाद्यान्न की खरीदी न होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री मुन्ना सिंह, राकेश, बृजराज सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर एवं मेहगांव क्षेत्र में पलेवा हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री स्वामी प्रसाद, बाबूलाल गौर, सदस्य, छतरपुर जिले में जल उपभोक्ता समितियों को वित्तीय सहायता न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, राजगढ़ जिले में उन्नत चूल्हा के निर्माण में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री राजमणि पटेल, सदस्य, रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में हेलमेट विलेज योजना के तहत गांवों को विद्युतीकृत न किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री धूल सिंह यादव, वकील, सदस्य, नरसिंहगढ़ क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में अज्ञात बीमारी से अफलन की स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री लालसिंह, सदस्य, मुरैना स्थित पिलुआ बांध के प्रदूषित पानी से धान की फसल नष्ट होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों पर अनेक कर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद नगर में नजूल भूमि की बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(13) श्रीमती सविता दीवान, सदस्य, होशंगाबाद जिले में पुलिस की लापरवाही से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(14) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में नकली खाद बीज का कारोबार होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर क्षेत्र में कम वोल्टेज से विद्युत प्रदाय होने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, श्योपुर जिले के रावतपुरा ग्राम में भूख से पांच आदिवासी बच्चों की मौत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री नरेन्द्र बिरथरे, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, प्रदेश शासन द्वारा विकास कार्यों आदि हेतु कोषालय से किये जाने वाले भुगतान पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले में अपहरण की अनेक घटनायें घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य, भोपाल में मास्टर प्लान के तहत मण्डीदीप-भोपाल मार्ग का निर्माण न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, गुना जिले के अनेक ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले में उर्मिल बांध परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री कमल पटेल, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, खंडवा-हरदा मार्ग पर चलती बस से दो व्यक्तियों पर प्राण घातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री मुंशीलाल, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, सीहोर जिले में तीन व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री अनूप मिश्रा, बाबूलाल गौर, सदस्य, प्रदेश में एड्स रोग से पीड़ितों की संख्या में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री हरिन्दर जीत सिंह (बब्बू), सदस्य, जबलपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सक की लापरवाही से कई मरीजों की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, गांधी सागर बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, सदस्य, बालाघाट जिले में नक्सलवादियों द्वारा पुलिस चौकी एवं वन कार्यालय में बम विस्फोट किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य, इंदौर के सांवेर रोड स्थित डायकेम इंडस्ट्रीज से गैस का रिसाव होने से श्रमिक की मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, सीहोर स्थित शासकीय आवासों से चंदन के पेड़ों की कटाई किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, अनूप मिश्रा, सुनील नायक, सदस्य, भोपाल में एक युवक की हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) सर्वश्री खेमराज पाटीदार, मनोहर ऊंटवाल, गोरेलाल, सदस्य, भोपाल में कार्यरत मेसर्स यूनिक सिक्योरिटी एण्ड कन्सलटेंट संस्था द्वारा श्रमिकों का शोषण किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके स्वत्वों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, देवास जिले के कन्नौद में पदस्थ प्रशासकीय अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ ग्यारहवां से एक सौ पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री श्याम होलानी, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री शिवप्रसाद सिंह, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का तैंतालीसवां एवं चवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री गनपत सिंह उइके, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जावे."

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नरेश सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम अजीतनगर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) श्री मुन्ना सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -
(क) कनेरा उद्वहन सिंचाई योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने, तथा
(ख) भौनपुरा में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने,

(3) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कुरावर, लसूड़िया एवं रामनाथ को मिलाकर नगर पंचायत का गठन किये जाने,

(4) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ तहसील मुख्यालय में महाविद्यालय खोलने; तथा

(5) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, भोपाल नगर के ईश्वर नगर में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

8. वक्तव्य

(1) श्री के.पी. सिंह "कक्काजु", ग्रामोद्योग मंत्री –

(क) दिनांक 28 जुलाई, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक-445); तथा

(ख) दिनांक 10 नवम्बर, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक-211),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, दिनांक 29 नवम्बर, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 75 (क्रमांक-4064) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-550) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

9. संकल्प

निर्धारित समय

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "यह कि यह सदन भारत के संविधान मे उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) और (घ) की व्याप्ति के अन्तर्गत आते हैं और संसद के दोनो सदनो द्वारा यथापारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित हैं.".

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश तम्बाकू (निरसन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 29 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 30 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11. अशासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रसाल सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि शासकीय सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर तत्काल उसके आश्रित को पद रिक्त न होने की दशा में संविदा अनुकंपा नियुक्ति देकर बाद में नियमित किया जावे."

(2) श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

15 मि. "सदन का यह मत है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए शासन द्वारा कड़े कदम उठाये जावें."

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में सिचाई तालाबो के रख-रखाव और उन्हे सुरक्षित रखने के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन किया जावे."

(4) सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि शासन द्वारा संविदा शाला शिक्षक भर्ती हेतु बी.एड., बी.टी.आई. एवं बी.टी.सी. योग्यता अनिवार्य कर मेरिट आधार पर नियुक्तियां की जावे."

(5) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त विधायको को उनके कर्तव्य पालन के उपयोगार्थ कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जावे."

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 नवम्बर, 2001